महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय

एवं

संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था
इंदौर (मध्यप्रदेश)

महाविद्यालय की कैंटीन के लिये आवेदन फार्म
(2016)

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के केन्टीन के ठेके की शर्ते एंव नियमावली :

(A) अनिवार्य पात्रता और अर्हता मापदण्ड अनुभव विगत कार्य निष्पादन, तकनीकी क्षमता आदि।
निम्न बिन्दु 1 से 5 के संबंध में दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है जिसके अभाव में आपके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जावेगा।

1. ठेकेदार को केन्टीन चलाने हेतु न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव किसी प्रतिष्ठित संस्था/शैक्षणिक संस्था/सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए।
2. **ठे**केदार को केन्टीन चलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस/नगर निगम द्वारा जारी गुमास्ता की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. सर्विस टेक्स/टिन नं./पेन नं. इनमे से कोई एक अनिवार्य।
4. समस्त इच्छुक आवेदनकर्ता को अपना प्रस्ताव आवेदन प्रपत्र के फार्म (क) में ही देना होगा। आवेदन के समस्त पृष्ठों एंव संलग्नों पर हस्ताक्षर करना **अनिवार्य** होगा।
5. प्रपत्र–स में दर्शित प्रारूप में नोटरीकृत शपथ पत्र 100/– के स्टांप पेपर पर जो ि कइस सूचना प्रकाशन दिनांक के पश्चात बनवाया गया हो को, प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6. निर्धारित राशि की प्रतिभुति।

(B) आवेदन प्रपत्र का मूल्य एवं प्रतिभुति।

1. आवेदन प्रपत्र का मूल्य 200/– निर्धारित है यह प्रपत्र इस संस्थान के भण्डार शाखा से 200/– नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. आवेदन प्रपत्र संस्थान की वेब साईट www.mgmmcindore.org से डाउन लोड कर उसका उपयोग किया जा सकता है ऐसी स्थिति में संबंधित को राशि रू. 200/–का बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर भअधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के नाम से देय होगा, सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जिन प्रस्तावकों ने पूर्व में इस कार्यालय की सूचना दिनांक 31.01.2016 के तहत प्रस्ताव दिये थे उन्हे आवेदन पत्र निःशुल्क रहेगा।
4. ठेकेदार को आवेदन के साथ धरोहर राशि के रुप में धनराशि रुपये 30,000/–(अक्षरी तीस हजार रुपय) की राशि भअधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के नामए राष्ट्रीयकृत बैंक की फिक्सड डिपाजिट रसीद /बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी । सफल ठेकेदार की यह राशि परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में संस्थान में जमा रहेगी।
5. ठेका स्वीकृत होने पर संबंधित को छःमाह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।

(C) आवेदन प्रपत्र प्रस्ताव दरें एवं न्यूनतम दर प्रदायकर्ता का निर्धारण।

1. अधिकतम किराये वाले रिस्पोन्सिव आवेदनकर्ता को कार्य आवंटित किया जावेगा।
2. रिस्पोन्सिव दर प्रदायकर्ता का आशय यह है कि वह संस्थान द्वारा जारी समस्त आर्हताओं आदि को पूर्ण करता है एवं उसने निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि आदि जमा कर निर्धारित समय में अपना प्रस्ताव आवश्यक समस्त संलग्नों सहित प्रस्तुत किया है।
3. यदि दो या अधिक दर आवेदनकर्ताओं के प्रस्ताव समान है तो ऐसी स्थिति में कार्य अनुभव एवं अन्य योग्यता के आधार पर कार्य का आवंटन किया जावेगा इस संबंध में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा। जोकि आपको मान्य करना होगा।
4. केंटीन का क्षेत्रफल लगभग 1100/– स्क्वेअर फिट है जो कि संचालक को केंटीन संचालन हेतू दिया जावेंगा। महाविद्यालय के अन्य क्षैत्र का उपयोग निषेध होगा। इसका किराया आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा, उक्त स्थान पर न्युनतम किराया 3000/– (तीन हजार रू) प्रतिमाह रहेगा इच्छुक दर प्रदायकर्ता इसके बराबर अथवा इससे अधिक किराये का प्रस्ताव 100 रूपये के गुणको में दे सकेगें ।

(D) आवेदन जमा करने की अंतिम तिथी व समय, आवेदन खोलने की तिथी समय व स्थान।

1. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14.3.2016 समय दोहपर 12.00 बजे तक निर्धारित है। सील बन्द प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कार्यालय में अंतिम समय तक प्राप्त होना चाहिए।
2. आवेदन इस दिन अर्थात अंतिम तिथि 14.3.2016 को ही दोपहर 12.30 बजे अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के कांफ्रेन्स हॉल में खोली जावेगें, जो आवेदनकर्ता इसमें उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं।

(E) आवेदन धरोहर राशि प्रपत्र, प्रस्ताव, दरें आदि जमा करने की प्रकिया।

इच्छुक आवेदनकर्ताओं को निम्नानुसार प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में अंतिम समय तक प्रस्तुत करना होगे। यदि कोई आवेदनकर्ता निम्नानुसार प्रस्ताव नही देता है अथवा गलत लिफाफे में अपना प्रस्ताव देता है तो उसके प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा। **वित्तीय प्रस्ताव केवल लिफाफा :– B में ही दिये जावे।**

(F) प्रस्ताव निम्नानुसार सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावें

- **लिफाफा :– A- मे निम्नानुसार रखा जावें।**
- ठेकेदार को केन्टीन चलाने हेतु न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण –पत्र (यह किसी प्रतिष्ठित संस्था/शैक्षणिक संस्था/सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार के कार्य संचालन का होना चाहिए)।
- **ठे**केदार को केन्टीन चलाने हेतु आवश्यक लाइसेंस/नगर निगम द्वारा जारी गुमास्ता की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- सर्विस टेक्स/टिन नं./पेन नं. की प्रति (इनमे से कोई एक अनिवार्य)।
- आवेदन के प्रपत्र (क) में प्रस्ताव (आवेदन के समस्त पृष्ठों एंव संलग्नों पर हस्ताक्षर करना **अनिवार्य** होगा)।
- प्रपत्र–स में दर्शित प्रारूप में नोटरीकृत शपथ पत्र 100/– के स्टांप पेपर मूलतः सलंग्न करना होगा (शपथ–पत्र इस सूचना प्रकाशन दिनांक के पश्चात बनवाया गया हो)।
- निर्धारित राशि रू. 30000/– की फिक्सड डिपाजिट रसीद /बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक मूल रूप से
- फोटोयुक्त पहचान पत्र।

- **लिफाफा :– B - मे निम्नानुसार रखा जावें।**
- वित्तीय प्रस्ताव जो कि आवेदन प्रपत्र के निर्धारित प्रपत्र (ब) में पूर्ण स्पष्ट रूप से भरा एवं हस्ताक्षरित हों, काट छाट स्वीकार नहीं होगी।
- **बडे लिफाफे में लिफाफा A एवं B निम्नानुसार रखें जावे।**
- उपरोक्त समस्त सील बंद लिफाफे एक बडे लिफाफे में बंद करते हुए सील किये जावें।
- प्रत्येक लिफाफे पर केंटीन हेतु प्रस्ताव एवं लिफाफा क्रमांक भी अंकित होना चाहिए।
- समस्त प्रस्ताव अधिष्ठाता महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम से जमा किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक लिफाफे पर आवेदनकर्ता का नाम एंव पूर्ण पता मोबाईल नं. सहित भी अंकित किया जावें।

(G) अन्य आवश्यक शर्तें

1. जिन निविदाकर्ता को पूर्व में किसी संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेट किया जा चुका है उनके प्रस्ताव पर विचार नही किया जावेगा।
2. महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के केन्टीन का ठेका प्रथमतः आपके अधीपत्य दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिये हैं।
3. 1 वर्ष उपरान्त दोनो पक्षों की सहमति पर कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर इन्हीं शर्तों पर आगामी अधिकतम एक वर्ष के लिए एवं इसी प्रकार आगे समयावृद्धि की जा सकेगी।
4. समयावृद्धि का प्रस्ताव होने पर दरों अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि उभयपक्षो की सहमति पर बढाई जा सकती है।

5. केन्टीन का समय प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा । सुबह 07:00 से सुबह 10:00 तक नाश्ता, लंच दोपहर 01:00 से दोहपर 03:00 तक, रात का खाना रात्रि 08:00 से रात्रि 10:00 तक देना होगा एंव चाय ,काफी एंव स्नेक्स हर वक्त उपलब्ध कराना होगें ।
6. ठेका मंजूर होने के समय से 10 दिवस के भीतर आपको कार्य शुरू करना होगा अन्यथा कार्यादेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात हो जावेगी ।
7. ठेका स्वीकृति के पश्चात् ठेकेदार को निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा । इसका सम्पूर्ण व्यय सफल आवेदनकार को ही वहन करना होगा।
8. ठेका प्रारम्भ करने के पूर्व ठेकेदार को केन्टीन भवन का चार्ज समिति से लिखित में प्राप्त करना होगा तथा ठेका समाप्ति पर तुरन्त ठेकेदार को अपना निजी सामान केन्टीन से हटाकर केन्टीन का चार्ज तीन दिवस के अन्दर समिति को अथवा अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर द्वारा आदेशित व्यक्ति को सौंपना होगा । निश्चित अवधि के बाद केन्टीन अथवा उसके किसी भी भाग का आधिपत्य न देना शासकीय भूमि व संपत्ति पर अनाधिकृत अतिक्रमण माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में 3000/– रू. प्रतिदिन का अर्थदण्ड तो लिया ही जावेगा/वसूल किया जावेगा , साथ ही इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही भी की जावेगी ।
9. केन्टीन में ईंधन के लिये ठेकेदार द्वारा व्यवसायिक LPG गैस का ही उपयोग किया जाना आवश्यक हैं ।
10. केन्टीन में ठेकेदार को आवश्यकतानुसार कर्मचारी रखना होगें । केंटीन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को साफ सफाई से रहना अनिवार्य होगा। रोगी एंव बीमार व्यक्ति को केन्टीन सेवांए में नहीं रखा जावे इसका पूर्ण ध्यान रखा जावें।
11. ठेकेदार व उनके कर्मचारियों का व्यवहार एंव आचरण शालीनता पूर्ण होना चाहिये जिससे कि उनके विरुद्व किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं आवे।
12. अधिष्ठाता/केंटीन समिति के सदस्य अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा किस भी प्रकार की अनियमिता पाये जाने अथवा आवेदन की किसी भी शर्त का उल्लघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर 500 रू. का दण्ड देना होगा।
13. तीन निरीक्षणों में यदि केन्टीन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो तत्काल प्रभाव से ठेका निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा।
14. केन्टीन भवन तथा अन्य स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की स्वीकृति के नहीं किया जावेगा तथा केन्टीन भवन को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति ठेकेदार को करना होगी ।
15. केन्टीन में शुद्ध पानी (R.O. System) की पर्याप्त व्यवस्था ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन रखना होगा । पीने के पानी का एंव हाथ धोने का स्थान अलग–अलग होना चाहिए।
16. केन्टीन में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेगें । ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर केन्टीन में उपयोग करने के लिये अनुमति नहीं देगा ।
17. केन्टीन समय से पूर्व या कार्य दिवस पर बंद होने की अवस्था में यथा संभव 3 दिन पूर्व सूचना एवं अनुमति अधिष्ठाता को लिखित रूप में देनी होगी ।
18. केंटीन का छः माह का अग्रिम किराया कार्य आवंटित होने के एक सप्ताह के भीतर जमा कराना होगा । तद्उपरांत प्रतिमाह की प्रथम तरीख को/अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस संस्था की लेखा शाखा में प्रत्येक माह का किराया जमा कराना होगा । विलम्ब हेतु 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन के मान से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
19. केन्टीन में बिजली के उपयोग के लिये संस्था द्वारा MPPKVCL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाया जावेगा । जिसका बिल ठेकेदार को नियमित रुप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्टिक शुल्क 10 रू. प्रति युनिट का भुगतान किया जावेगा । MPPKVCL द्वारा दरें वृद्धि करने पर तद्नुसार वृद्धि की जावेगी।
20. केन्टीन में एक सुझाव/शिकायत पेटी लगाई जावेगी जिसे महाविद्यालय की केन्टीन समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमाह खोला जावेगा एंव अधिष्ठाता की अनुमति के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी ।
21. ठेकेदार को संलग्न सूची में निर्धारित वजन,मात्रा एंव दर के अनुसार खाद्य सामग्री ताजे रूप से तैयार करते हुए केन्टीन रखना होगी। जिन सामग्री की दरें निर्धारित नहीं की जा रही है ऐसी सामग्री के अतिरिक्त विभिन्न निर्माणकर्ताओं द्वारा बनी हुई पेक सामग्री उस पर मुद्रीत एम.आर.पी. पर अंकित दरों पर अथवा उससे कम पर प्रदाय करना होगा।
22. दर सूची एवं सामग्री की मात्रा का प्रकाशन केन्टीन काउन्टर के पटल पर पेन्ट द्वारा लिखकर दर्शाना होगी ।

23. किसी भी व्यक्ति या संस्था के पक्ष में ठेका स्वीकृत करने अथवा न करने अथवा मध्यावधि में ही बिना किसी कारण बताये ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को रहेगा ।
24. केन्टीग में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के सक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु बनाई गई समिति द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है यह प्रक्रिया बनी हुई सामग्री बजन आदि के लिए मान्य होगी।
25. ठेकेदार को केन्टीन के उपयोग के लिये उत्तम किस्म के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की क्राकरी आदि की व्यवस्था स्वंय करना होगी । प्लास्टिक बर्तन /डिस्पोजेवल का उपयोग वर्जित रहेगा । चाय एवं काफी के लिए सफेद रंग के काकरी के कप ,प्लेट ही उपयोग किये जावे
26. केन्टीन के फर्श ,फर्नीचर आदि की हमेशा नियमित सफाई रखनी होगी । खाद्य सामग्री को जालीदार अथवा कांच की अलमारी में बन्द कर रखना होगा । केन्टीन के आसपास के एरिया में भी स्वंय के खर्च पर सफाई रखना होगी । केटीन में कवर युक्त डस्टबीन ही रखे जावे ।
27. केन्टीन में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुध्द एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे । इस संबंध में अधिष्ठाता द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा ।
28. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि महाविद्यालय में अधिष्ठाता कार्यालय एंव विभागों में स्वंय ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
29. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। ताजी सब्जीयॉ, दूध, दही, आदि का ही उपयोग करना होगा। एक दिन पुर्व की बनी हुई खाध सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा ।
30. आपको केन्टीन में केवल वही खाद्य सामग्री का विक्रय करना होगा जिनकी सामग्रीवार दरें प्रथमतः निर्धारित की जा रही है। निर्धारित समस्त सामग्रिया प्रत्येक दिवस मांग पर उपलब्ध करानी होगी। प्रतिष्ठित कंपनियों की निर्धारित पेक सामग्री ही अतिरिक्त रूप से रखी जा सकेगी। ऐसी सामग्रीयों की पुर्ण सूचना विक्रय पूर्व अधिष्ठाता को देना होगी। उंल्लघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर रु. 500/–का जुर्माना लिया जावेगा।
31. संस्थान में समय–समय पर होने वाले बैंठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
32. ठेकेदार को केन्टीन स्वंय चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा । किराये पर दिये जा रहे स्थान का उपयोग केवल केन्टीन संचालक के लिये ही करना होगा। संस्थान द्वारा जारी शर्तो के अतिरिक्त किसी भी शर्त को स्वीकार नही किया जावेगा।
33. केन्टीन में किसी भी प्रकार का उपद्रव ,आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निषेध रहेगा । केन्टीन में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकदार का ही कर्त्तव्य होगा ।
34. केन्टीन में कोल्डड्रिंक्स ,आईसक्रीम एंव दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फ्रिज एंव चीलर आवश्यक रुप से रखना होगा।
35. केन्टीन में प्रयोग की जाने वाली ताजी प्रतिदिन बनायी हुई चटनी ,सॉस मानक कंपनी द्वारा निर्मित होना चाहिए ।
36. केन्टीन में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी।
37. केन्टीन तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ–सफाई एंव अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे ही करना होगा।
38. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परसिर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहुचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ–सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
39. केन्टीन में जो कर्मचारी रखें जावेगें उनकी सूची ,फोटो, उनके पते एंव फोन न. आदि अधिष्ठाता कार्यालय में समय–समय पर देना होगें ।
40. ठेकेदार अपनी किसी भी प्रकार की हानि के स्वंय ही जवाबदार होगा ।
41. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को उपरोक्त शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है ।
42. केन्टीन ठेके अनुशासन या विवाद आदि में अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार को बंधनकारक होगा ।
43. केन्टीन में कार्यदिवस/शैक्षणिक दिवस में केन्टीन में चाय, नस्ते आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या 150 रहती है आवेदन भरने के पूर्व इस संबंध में आवश्यक जानकारी आप प्राप्त कर लें।

44. संस्थान द्वारा कुछ सामग्री की मात्रा एवं दरें प्रस्तावित की जा रही है। आवेदनकर्ता सामग्री की गुणवत्ता, वजन एवं निर्धारित शर्तों में किसी भी प्रकार की कमी किये बिना इन दरों को कम करना चाहते है तो वह इन दरों को कम कर सकतें है।
45. इस संबंध में किसी भी प्रकार के आदेश के विरुद्व अपील सुनने का अधिकार अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर का होगा व उनका निर्णय अंतिम होगा ।
46. शासन को किसी भी प्रकार की बकाया राशि ,जमा की गई परफोरमेन्स सिक्योरिटी में से वसूल की जावेगी ।
47. ठेकेदार एक वर्ष केंटीन का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में परफोरमेन्स सिक्योरिटी राजसात हो जावेगी ।
48. किसी भी प्रकार की न्यायलयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा ।
49. अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर को कोई भी आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
50. आवेदनकर्ता के आवेदन प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एंव सील अंकित होना चाहिए तथा आवेदन स्पष्ट होना चाहिए। कांट–छांट नही होना चाहिए एंव पूर्ण रुप से होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत की जावेगी।

अधिष्ठाता
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा केन्टीन ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर...

नामः ....

पताः ....

...

मोबाईल नं...

प्रपत्र–अ

1	आवेदनकर्ता का नाम	
2	फर्म का नाम	
3	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
4	मोबाईल नं.	
5	आपके इस क्षेत्र में कार्य का अनुभव पूर्ण विवरण अवधि एवं कार्य स्थल की जानकारी सहित अंकित किया जावें।	
6	नगर निगम द्वारा जारी गुमास्ता/लाईसेन्स क्र जारी होने की तिथि एवं वैधता समाप्त होने की तिथि	
7	सर्विस क्र/टीन नं./पेन नं. इनमें से कोई एक अनिवार्य	
8	धरोहर राशि की फिक्स डिपाजिट रसीद का पूर्ण विवरण	
9	प्रपत्र–स में दर्शित प्रारूप में शपथ पत्र के नोटरीकृत होने का दिनांक	
10	अन्य कोई आवश्यक जानकारी जिस आप देना उपयुक्त समझते हो	

//घोषणा//

मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है मैंने महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा केन्टीन ठेके के संबंध में जारी समस्त शर्तें अच्छी तरह से पढ व समझ ली है, जो मुझे मान्य है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर..

नामः ....

पताः ....

..

मोबाईल नं...

प्रपत्र–ब

<u>दर सूची जो कि आवेदनकर्ता द्वारा स्पष्ट अक्षरो में भरकर एवं हस्ताक्षर कर एवं सील लगाकर लिफाफा “B” में रखी जावेगी ।</u>

(अ) संस्थान के इस कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित स्थान का प्रस्तावित मासिक किराया (विद्युत आदि को छोडकर)

अंकों में ....

शब्दों में ....

(ब) सामग्री की दरें।

कमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर रू. अंको में
1	पोहा सेव सहित	100 ग्राम	10/-
2	कचोरी	70 से 80 ग्राम	10/-
3	समोसा	70 से 80 ग्राम	10/-
4	आलूबड़ा	70 से 80 ग्राम	10/-
5	वेज कटलेट	80 से 90 ग्राम	15/-
6	उपमा	100 ग्राम	15/-
7	खमण	100 ग्राम	15/-
8	बटर टोस्ट (2 पीस) स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	15/-
9	सेन्डविच टोस्टेड चीज दो ब्रेड स्लाइस स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	30/-
10	सेन्डविच टोस्टेड वेज दो ब्रेड स्लाइस स्टेन्डर्ड साईज	1 प्लेट	20/-
11	इडली सांभर–1 प्लेट, 2 इडली,सांभर,चटनी (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	25/-
12	मसाला डोसा –1 प्लेट, चटनी,सांभर (न्यूनतम वजन 250 ग्राम)	1 प्लेट	35/-
13	सादा डोसा – 1 प्लेट,चटनी,सांभर (न्यूनतम वजन 150 ग्राम)	1 प्लेट	25/-
14	बेक समोसा/आलू पेटीस	70 से 80 ग्राम	10/-
15	बेक समोसा/आलू पेटीस (सेव, चटनी, टमाटर सोस, प्याज आदि के साथ बनाकर	न्यूनतम 100 ग्राम	15/-
16	आलू पराठा आचार,सॉस के साथ – 1	100 से 125 ग्राम	20/-
17	दही, न्यूनतम 100 ग्राम	1 प्लेट	10/-
18	भोजन–चार रोटी (80–100 ग्राम) दो सब्जी (एक हरी सब्जी सहित),दाल,चावल, प्रत्येक न्यूनतम 50 ग्राम अचार,सलाद,पापड अतिरिक्त रोटी प्रति नग रू 5	01 थाली	50/-
19	भोजन–चार रोटी (80–100 ग्राम) एक सब्जी ,दाल,चावल, प्रत्येक न्यूनतम 50 ग्राम , अचार , सलाद अतिरिक्त रोटी प्रति नग रू 5	01 थाली	40/-
20	पेक लंच –चार पराठा (80–100 ग्राम) दो सब्जी (एक हरी सब्जी 1 पनीर की सब्जी),दाल, पुलाव ,दही/ रायता, मिठाई प्रति नग न्यूनतम 40 ग्राम, अचार,सलाद,पापड अलग–अलग पेकिंग में डिस्पोजेबल चम्मच एवं पेपर नेपकिन सहित अच्छी किस्म की पेकिंग में	01 पेकेट	100/-

क्रमांक	सामग्री का नाम	मात्रा	दर रू. अंको में
21	चाय	50 मिली	6/-
22	चाय	100 मिली	12/-
23	कॉफी नेस्केफे	50 मिली	10/-
24	कॉफी नेस्केफे	100 मिली	20/-
25	साबूदाना खिचडी	100 ग्राम	20/-
26	लस्सी / (सांची / अमूल)	साची / अमूल द्वारा निर्धारित पैकिंग में	Up to M.R.P.
27	बटर मिल्क (सांची / अमूल)	साची / अमूल द्वारा निर्धारित पैकिंग में	Up to M.R.P.
28	अन्य उच्च गुणवत्ता की बनी हुई / तैयार पेक सामग्री (वैधता अवधि में)	प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निर्धारित पैकिंग में	Up to M.R.P.

शासन / स्थानीय निकाय द्वारा लगाये गये / लगाये जाने वाले समस्त कर उक्त राषि में सम्मिलित है।

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर...

नामः ....

पताः ....

...

मोबाईल नं..

प्रपत्र–स

शपथ पत्र का प्रारूप
(न्युनतम 100 रू. के स्टॉप पेपर पर नोटरीकृत कराते हुए मूलतः सलंग्न किया जावें)

//शपथ पत्र//

मैं .... पिता/पति श्री ....आयु.......... वर्ष.............................. व्यवसाय .... पता .... शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि मैंने महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में केन्टीन संचालन हेतु निर्धारित समस्त शर्ते पढ व समझ ली है जो मुझे पूर्णतः मान्य है।
2. यह कि मुझे अपने विगत कार्य के दौरान किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्था/अन्य सक्षम द्वारा ब्लेक लिस्टेड घोषित नही किया गया है।
3. यह कि मेरे/मेरे फर्म के विरूद्ध कोई भी पुलिस/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है।

स्थान............................ शपथकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक.........................

//सत्यापन –लेख//

मैं ....शपथकर्ता इसके द्वारा सत्यापित करता /करती हूँ कि इस शपथ पत्र के संपूर्ण कथन मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास से पूर्णतः सत्य है यह शपथ–पत्र में पूर्ण होस हवास में बिना किसी दबाओ के निष्पादित कर रहा हुॅं।

स्थान............................ शपथकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक.........................
गवाह :–

1. नाम.................................
   पता.................................
   हस्ताक्षर..........................

2. नाम.................................
   पता.................................
   हस्ताक्षर..........................